सूरह नूर - 24



सूरह नूर के संक्षिप्त विषय यह सूरह मद्नी है, इस में 64 आयतें हैं।

- इस सूरह में व्यभिचार और उस का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है।
- मुनाफिकों को झूठे कलंक घड़ कर समाज में फैलाने पर चेतावनी दी गयी है।
- मान मर्यादा की रक्षा पर बल दिया गया है।
- अल्लाह की राह में चलने और उस के इन्कार पर लाभ और हानि का वर्णन किया गया है।
- ईमान वालों को अधिकार प्रदान करने की शुभ सूचना दी गयी है।
- घरेलू आदाब बताये गये हैं।
- और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आदर करने पर बल दिया गया है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त कृपाशील तथा दयावान् है।

- यह एक सूरह है जिसे हम ने उतारा तथा अनिवार्य किया है। और उतारी हैं इस में बहुत सी खुली आयतें (निशानियाँ), ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो।
- व्यभिचारिणी तथा^[1] व्यभिचारी दोनों

سُوَرَةٌ اَنْزَلَنْهَا وَفَرَضُنْهَا وَانْزَلْنَا فِيُهَا الِيتِ بَيِّنَتٍ لَكَ لَكُنُو تَذَكَّرُونَ۞

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَلْجُلِدُ وَاكْلُ وَلِحِدِمِنْهُمَا

1 व्यभिचार से संबंधित आरंभिक आदेश सूरह निसा, आयत 15 में आ चुका है। अब यहाँ निश्चित रूप से उस का दण्ड नियत कर दिया गया है। आयत में वर्णित सौ कोड़े दण्ड अविवाहित व्यभिचारी तथा व्यभिचारिणी के लिये हैं। आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अविवाहित व्यभिचारी को सौ कोड़े मारने का और एक वर्ष देश से निकाल देने का आदेश देते थे। (सहीह बुखारी, 6831)

में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो, और तुम्हें उन दोनों पर कोई तरस न आये अल्लाह के धर्म के विषय^[1] में, यदि तुम अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान (विश्वास) रखते हो। और चाहिये कि उन के दण्ड के समय उपस्थित रहे ईमान वालों का एक^[2] गिरोह।

उचित्रचारी^[3] नहीं विवाह करता परन्तु व्यभिचारिणी अथवा मिश्रणवादिनी से, और व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती परन्तु व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी से और इसे हराम (अवैध) कर दिया गया है ईमान वालों परा مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُدُكُمُ بِهِمَازَافَةٌ فِيُدِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الْأَخِرِ وَلْيَثْهَدُ عَذَابَهُمَا طَأَبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيُّنَ۞

> ٵٷٳڹٛڵۘۘۘڒؽؽ۫ڮٷٳڷڒۯٙٳڹؽڐٞٲۉؙڡٛؿ۠ۄؚڴڐ ٷٵڵۯٞٳڹؽڎؙڵڒؽؘڮڂۿڵٙٳڵڒۯٙٳڽ۪ٲۉڡؙؿٝڕڰٛ ۅؘڂ۫ڗؚۣ۫ڡڒڶڸػٸۜڶڶٮؙٷؙڡڹؽؙڽ۞

किन्तु यदि दोनों में से कोई विवाहित है तो उस के लिये रज्म (पत्थरों से मार डालने) का दण्ड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः मुझ से (शिक्षा) ले लो, मुझ से (शिक्षा) ले लो। अल्लाह ने उन के लिये राह बना दी। अविवाहित के लिये सौ कोड़े और विवाहित के लिये रज्म है। (सहीह मुस्लिम, 1690, अबूदाऊद, 4418) इत्यादि।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने युग में रज्म का दण्ड दिया जिस के सहीह हदीसों में कई उदाहरण हैं। और खुलफाये राशिदीन के युग में भी यही दण्ड दिया गया। और इस पर मुस्लिम समुदाय का इज्मा (मतैक्य) है। व्यभिचार ऐसा घोर पाप है जिस से परिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। पित-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता। और यदि कोई शिशु जन्म ले तो उस के पालन पोषण की भीषण समस्या सामने आती है। इसी लिये

इस्लाम ने इस का घोर दण्ड रखा है ताकि समाज और समाज वालों को शान्त और सुरक्षित रखा जाये।

- 1 अर्थात् दया भाव के कारण दण्ड देने से न रुक जाओ।
- 2 ताकि लोग दण्ड से शिक्षा लें।
- 3 आयत का अर्थ यह है कि साधारणतः कुकर्मी विवाह के लिये अपने ही जैसों की ओर आकर्षित होते हैं। अतः व्यभिचारिणी व्यभिचारी से ही विवाह करने में रुचि रखती हैं। इस में ईमान वालों को सतर्क किया गया है कि जिस प्रकार व्यभिचार महा पाप है उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ विवाह संबन्ध स्थापित करना भी निषेध है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ विवाह का अर्थ व्यभिचार लिया है।

- 4. तथा जो आरोप^[1] लगायें व्यभिचार का सतवंती स्त्रियों को, फिर न लायें चार साक्षी तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो, और न स्वीकार करो उन का साक्ष्य कभी भी, और वह स्वयं अवैज्ञाकारी हैं।
- परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली इस के पश्चात्, तथा अपना सुधार कर लिया, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी दयावान्^[2] है।
- 6. और जो व्यभिचार का आरोप लगाये अपनी पितनयों पर, और उन के साक्षी न हों^[3] परन्तु वह स्वयं, तो चार साक्ष्य अल्लाह की शपथ लेकर देना है कि वास्तव में वह सच्चा है।^[4]
- और पाँचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की धिक्कार है यदि वह झूठा हो।

وَالَّذِيْنَ يَرُمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوُا بِأَرْبُعَةَ شُهَدَا ءَفَاجُلِدُ وَهُمُّ ثَمَنِيْنَ جَلْدَةً وَلَاتَفَتُمُلُوْالَهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا وَاوْلِيْكَ هُوُ الْفُسِقُونَ ثَ

ٳٙڒٳڷڵؽؚؽؙؽؘؾؙٵؙڹؙٷٳؠؽؘؠؘۼؽڒڶڸػۅؘٲڝؙڵڂٷٲ ڡؙٳؾٞٳٮڵۿۼؘڡؙٛٷڒڗۜڿؽٷٛ

ۅؘٲڷڹؽؙؽؘۑؘۯٷؙؽٵۮ۫ۅٵڿۿؙؙؙؗؗؗؗۄؙڬۊؙڲڷؙؽڷۿؙڞ ۺؙۿۮٳٷٳڷڒٙٲٮؙٛڠؙڛؙۿڂۯ۫ڣۺۜۿڶڎؘٲؙٲڝٙڍۿؚٷؘڵۯؽۼؙ ۺٞۿۮڝؽؚڶڟٷٳٮۜٞٷڶڽؽٵڶڞڍۊؿؽٛ۞

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَاللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَمِنَ الكَٰذِيئِنَ

- 1 इस में किसी पिवत्र पुरुष या स्त्री पर व्यिभचार का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है। कि जो पुरुष अथवा स्त्री किसी पर कलंक लगाये, तो वह चार ऐसे साक्षी लाये जिन्होंने उन को व्यिभचार करते अपनी आँखों से देखा हो। और यदि वह प्रमाण स्वरूप चार साक्षी न लायें तो उस के तीन आदेश हैं:
- (क) उसे अस्सी कोड़े लगाये जायें।
- (ख) उस का साक्ष्य कभी स्वीकार न किया जाये।
- (ग) वह अल्लाह तथा लोगों के समक्ष दूराचारी है।
- 2 सभी विद्वानों का मतैक्य है कि क्षमा याचना से उसे दण्ड (अस्सी कोड़े) से क्षमा नहीं मिलेगी। बल्कि क्षमा के पश्चात् वह भी अवैज्ञाकारी नहीं रह जायेगा, तथा उस का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा। अधिक्तर विद्वानों का यही विचार है।
- 3 अर्थात् चार साक्षी।
- 4 अर्थात आरोप लगाने में।

- 675
- और स्त्री से दण्ड^[1] इस प्रकार दूर होगा कि वह चार बार साक्ष्य दे अल्लाह की शपथ ले कर कि निःसंदेह वह (पति) मिथ्यावादियों में से है।
- और पाँचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की धिक्कार हो यदि वह सच्चा^[2] हो।
- 10. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और दया न होती, और यह कि अल्लाह अति क्षमी तत्वज्ञ है (तो समस्या बढ़ जाती)।
- वास्तव^[3] में जो कलंक घड़ लाये हैं

وَيَدُرَوُاعَنُهُ الْعُذَابَ اَنُ تَتُمُهُ مَا الْعُذَابَ الْ شَهٰداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينُ

وَالْغَالِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ أَلْ كَانَ مِنَ

وَلَوُلافَضُلُ اللهِ عَلَيْتُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَنَّ اللهَ تَوَاكُ

إِنَّ الَّذِينَ جَأْءُوْ بِالْإِفْكِ عُصِّيةٌ مِّنْكُمْ

- अर्थात व्यभिचार का दण्ड।
- 2 शरीअत की परिभाषा में इसे "लिआन" कहा जाता है। यह लिआन न्यायालय में अथवा न्यायालय के अधिकारी के समक्ष होना चाहिये। लिआन की माँग पुरुष की ओर से भी हो सकती है और स्त्री की ओर से भी। लिआन के पश्चात् दोनों सदा के लिये अलग हो जायेंगे। लिआन का अर्थ होता है: धिक्कार। और इस में पति और पत्नी दोनों अपने को मिथ्याबादी होने की अबस्था में धिक्कार का पात्र स्वीकार करते हैं। यदि पति अपनी पत्नि के गर्भ का इन्कार करे तब भी लिआन होता है। (बुख़ारी: 4746, 4747, 4748)
- 3 यहाँ से आयत 26 तक उस मिथ्यारोपण का वर्णन किया गया है जो मुनाफ़िक़ों ने नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) पर बनी मुस्तिलक के युद्ध से वापसी के समय लगाया था। इस युद्ध से वापसी के समय नबी सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक स्थान पर पड़ाव किया। अभी कुछ रात रह गयी थी कि यात्रा की तय्यारी होने लगी। उस समय आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) उस स्थान से दूर शौच के लिये गईं, और उन का हार टूट कर गिर गया। वह उस की खोज में रह गयीं। सेवकों ने उन की पालकी को सवारी पर यह समझ कर लाद दिया कि वह उस में होंगी। वह आई तो वहीं लेट गयीं कि कोई अवश्य खोजने आयेगा। थोड़ी देर में सफ्वान पुत्र मोअत्तल (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो यात्रियों के पीछे उन की गिरी-पड़ी चीज़ों को संभालने का काम करते थे वहाँ आ गये। और इन्ना लिल्लाह पढ़ी, जिस से आप जाग गयीं। और उन को पहचान लिया। क्यों कि उन्होंने पर्दे का आदेश आने से पहले उन्हें देखा था। उन्होंने आप

तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है, तुम उसे बुरा न समझो, बल्कि वह तुम्हारे लिये अच्छा^[1] है| उन में से प्रत्येक के लिये जितना भाग लिया उतना पाप है और जिस ने भार लिया उस के बड़े भाग^[2] का तो उस के लिये बड़ी यातना है|

- 12. क्यों जब उसे ईमान वाले पुरुषों तथा स्त्रियों ने सुना तो अपने आप में अच्छा विचार नहीं किया तथा कहा कि यह खुला आरोप है?
- 13. वे क्यों नहीं लाये इस पर चार साक्षी? (जब साक्षी नहीं लाये) तो निःसंदेह अल्लाह के समीप वही झूठे हैं।
- 14. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और दया न होती लोक तथा परलोक में, तो जिन बातों में तुम पड़ गये उन के बदले तुम पर कड़ी यातना आ जाती।
- 15. जब कि (बिना सोचे) तुम अपनी जुबानों से इसे लेने लगे, और अपने मुखों से वह बात कहने लगे जिस का तुम्हें कोई ज्ञान न था, तथा तुम इसे

ڵٳؾۧڡؙٮۜڹؙۅؙٷۺٞڗؙٳڰۯؙڔ۫ؠڵۿۅؘڂؽؙڒڰۮؙۊٝڸڴ۬ڷۣٳڡٛٚڽؖؽ ڡؚٞؠؙؙۿؙؠؙٵڵڎؾٮؘۜڹڝؘٳٛڵٳؿؿۧٷٳڷۮؚؽۛڗؘۘڵڮؽڗٷ ڡؚڹ۫ۿؙؠؙۿؙٷڡؘۮؘٳڮٛۼڟؽۅٛ

ڵٷڵڒٙٳۮ۬ڛٙڡؙۼؗۛؗؗۼٷٷڟڽۜٙٵڵؠٷؙڡؚڹؙٷڹۜٷڵٷ۫ڡۣڶڬ ؠٲؘڡؙؿؙؠۿؚؿٞڂؘؿڒؙڵٷٙڲاڵٷڶۿڶڴٳڣ۫ڬ۠ؿؙؠؚؿؙڽٛٛ

ڵٷڒڮڹۜٲۥٛۉۘڡؘڵؽٶڽٲۯؠؘۼ؋ۧۺؙۿؘۮٙٲ؞۠ٷڵۮ۠ڶٶؙؠٳ۠ڎ۠ٛۊ ڽٳؙڷؿؙۿۮٵٙ؞ۏؘٲۅڵؠٟػۼٮ۫ڎٵؠڵٷۿؠؙٳڰڵۮؚڹؙٷڽٛ۞

ۅؘڷٷٙڒڣؘڞؙڶؙڶڵ؋ۘۘۼۘڷؽؙڴۄؙۯڒڞؙؾؙ؋۫ڣؚٳڶڰؙڹؽٳ۫ۉٳڵٳڿؚۯۊ ڵۺۜڴۄؙڹؙۣ؆ٙٳؙڣؘڞؙؿؙۄؙڣؚؠؙ؋ۼۘۮٵۻ۠ۼڟؚؽٷ۞

ٳۮؙؾۜڬڡٞۘۅؙٮؘڎؘۑٲڷؚؠٮؘؾڴۄ۫ۅٙؾۜڠؙۅؙڶۅؙڹؘؠٳؙٛڣٛۅٳۿؚڴۄؙ؆ؘڶؽۺ ڷڴۄ۫ڽؚ؋ۼڵؿۨٷۼۜٮٛڹؙٷڹڎؘۿؾۣڹٵٚٷڰڣۅۼٮؙ۫ػڶڟٶۼڟۣؿؗم۠۞

को अपने ऊँट पर सवार किया और स्वयं पैंदल चल कर यात्रियों से जा मिले। द्विधावादियों ने इस अवसर को उचित जाना, और उन के मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबय्य ने कहा कि यह एकांत अकारण नहीं था। और आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) को सफ़वान के साथ कलंकित कर दिया। और उस के षड्यंत्र में कुछ सच्चे मुसलमान भी आ गये। इस का पूरा विवरण हदीस में मिलेगा। (देखिये: सहीह बुख़ारी, 4750)

- 1 अर्थ यह है कि इस दुःख पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा।
- 2 इस से तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबय्य द्विधावादियों का मुखिया है।

सरल समझ रहे थे, जब कि अल्लाह के समीप वह बहुत बड़ी बात थी।

- 16. और क्यों नहीं जब तुम ने इसे सुना, तो कह दिया कि हमारे लिये योग्य नहीं कि यह बात बोलें? हे अल्लाह! तू पिवत्र है! यह तो बहुत बड़ा आरोप है।
- 17. अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता है कि पुनः कभी इस जैसी बात न कहना। यदि तुम ईमान वाले हो।
- 18. और अल्लाह उजागर कर रहा है तुम्हारे लिये आयतों (आदेशों)को। तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।
- 19. जो लोग चाहते हैं कि उन में अशलीलता^[1] फैले जो ईमान लाये हैं, तो उन के लिये दुखदायी यातना है लोक तथा परलोक में, तथा अल्लाह जानता^[2]है और तुम नहीं जानते।
- 20. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह तथा उस की दया न होती (तो तुम पर यातना आ जाती)। और वास्तव में अल्लाह अति करुणामय दयावान् है।
- 21. हे ईमान वालो! शैतान के पद्चिन्हों पर न चलो, और जो उस के पद्चिन्हों पर चलेगा, तो वह अशलील कार्य तथा बुराई का ही आदेश देगा, और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और उस की दया

ۅٙڷٷڷڒٳۮ۬ڛٙؠۼۿ۬ٷٷؙڡٞڵؙؿؙؗؗڗ۫؆ٳڲڵۉڽؙڵؾؘٵڷؿؙؖؾٞػڵۄٙ ؠڣؚۮؘٲۺؖؠڂؽؘػۿؽٙڶؠؙۿؾٙٲؽ۠ۼڟؚؽؙٷۛ

ؘۘؖؖۜۜۜۜؽۼۣڟڬٷ۬ٳٮڵۿؙٲڽؙؾۘٷڎۉٳڸؠؿٞڸۿٙٲؠؘۮٵٳڽٛػؙؽؙڎؙۄؙ ۼؙٷؙڡڹؽؙؽؘ۞ٛ

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْأَلْيَةِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَكِيدُونَ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوُنَ أَنْ تَتَثِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمُنُوْالَكُمُّمُ عَذَابُ الِيُوْزِقِ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُّ لِاتَعْلَمُوْنَ

> ۅؘڷٷٙڵٳڣؘڞؙڶٳڶڵۄۼڵؽڬٛۄؙۅٙڗۼۘؠؾؙ؋ۅٙٲڹۧٳڶڵۿ ڒٷ۫ڡؙ۠ڗٚۼؚؽؠ۠ۯ۠

يَانَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَنتَّقِعُوْ اخْطُونِ الثَّيْطِينُ وَمَنْ تَشَّعِخُطُونِ الثَّيْطِينَ فَإِنَّهُ يَا مُرُبِالْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكُرُولُولافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكُل مِنْكُمُ مِنْ اَحَدٍ آبَكُا وَلِكِنَ اللهَ يُزَكِّيُ مَنْ يَشَأَةُ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْرُهُ

- 1 अशलीलता, व्याभिचार और व्याभिचार के निर्मूल आरोप की चर्चा दोनों को कहा गया है।
- 2 उन के मिथ्यारोपण को।

न होती, तो तुम में से कोई पवित्र कभी नहीं होता। परन्तु अल्लाह पवित्र करता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब कुछ सुनने जानने वाला है।

- 22. और न शपथ लें^[1] तुम में से धनी और सुखी कि नहीं देंगे समीपवर्तियों तथा निर्धनों को और जो हिज्रत कर गये अल्लाह की राह में, और चाहिये कि क्षमा कर दें तथा जाने दें, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी सहनशील है।
- 23. जो लोग आरोप लगाते हैं सतवन्ती भोली-भाली ईमान वाली स्त्रियों को, वह धिक्कार दिये गये लोक तथा परलोक में और उन्हीं के लिये बड़ी यातना है।
- 24. जिस दिन साक्ष्य (गवाही) देंगी उन की जीभें तथा उन के हाथ और उन के पैर उन के कर्मों की।
- 25. उस दिन अल्लाह उन को उन का पूरा न्यायपूर्वक बदला देगा, तथा वह जान लेंगे कि अल्लाह ही सत्य है,

ۅؘۘۘۘڵڒؽٳٚؾٙڸٲۅڵٷٳڵڣڡۧڞؙڸ؞ٟٮؙۘ۬ڬؙۄٞۅؘٳڶڛۜۼ؋ٙٲؽؙٷؚٛڗؙٷٙ ٲۅڸٳڵڡؙٞڗ۫ڣۅؘٳڵڛڵؚڲۺؘۅٙٲڵؠڟڿڔؿؽ؈ٛڛؘؽڸ ٳؠڵٷ^ڂۅؘڶؽۼڡؙٛٷٳۅٙڶؽڞۜڣٷٳٝٵڒػؿؚۼۘٷؽٵؽؖؾۼ۫ڣۯۜ ٳؠڵۿؙڵڴۄ۫۫ۅٳؠڵۿڂؘٷ۫ۯڎڗڿؽؙٷ۠۞

ٳڹۜٲڷۮؚؽؙڹؘؽؘؽٷؙٷؘؽٵڞٛڞڶؾٲڵۼۼڶؾٲڵٷ۫ؠ۬ڵؾ ڵؚۼٮؙؗٷٳڣ۬۩ڎؙؠٞؽٵۅٲڵٳڂؘۄؘۼٷؘڵۿؙۄؙؗؗڡؘۮؘٲٮؘؚٛٛٛٛعڟؚؽؙؿ^ڰٛ

> يَّوْمَ تَنْهُدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَانْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُامُ مِمَاكَانُوْ اِنْعَلُوْنَ ۞

يَوْمَهِذٍ يُوَفِيُهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَالْحَنُّ الْمُبْعُنُ

अादरणीय मिस्तह पुत्र उसासा (रिज़यल्लाहु अन्हु) निर्धन, और आदरणीय अबूबक्र (रिज़यल्लाहु अन्हु) के समीपवर्ती थे। और वह उन की सहायता किया करते थे। वह भी आदरणीय आइशा (रिज़यल्लाहु अन्हा) के विरुद्ध आक्षेप में लिप्त हो गये थे। अतः आदरणीय आइशा के निर्दोष होने के बारे में आयतें उतरने के पश्चात् आदरणीय अबूबक्र ने शपथ ली कि अब वह मिस्तह की कोई सहायता नहीं करेंगे। उसी पर यह आयत उतरी। और उन्हों ने कहाः निश्चय मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे। और पुनः उन की सहायता करने लगे। (सहीह बुख़ारी, 4750)

(सच्च को) उजागर करने वाला।

- 26. अपिवत्र स्त्रीयाँ अपिवत्र पुरुषों के लिये हैं, तथा अपिवत्र पुरुष अपिवत्र स्त्रियों के लिये, और पिवत्र स्त्रियाँ पिवत्र पुरुषों के लिये हैं, तथा पिवत्र पुरुष पिवत्र स्त्रियों के^[1] लिये। वही निर्दोष हैं उन बातों से जो वह कहते हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है।
- 27. हे ईमान वालो!^[2] मत प्रवेश करो किसी घर में अपने घरों के सिवा यहाँ तक कि अनुमित ले लो, और उन के वासियों को सलाम कर^[3] लो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है, ताकि तुम याद रखो।
- 28. और यदि उन में किसी को न पाओ तो उन में प्रवेश न करो, यहाँ तक कि तुम्हें अनुमित दे दी जाये, और यदि तुम से कहा जाये कि वापिस हो जाओ तो वापिस हो जाओ, यह तुम्हारे लिये अधिक पवित्र है, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो भली-भाँति जानने वाला है।
- 29. तुम पर कोई दोष नहीं है कि प्रवेश

ٱغْيِيَتْتُ لِلْغَيْمِيْنِ وَالْغَيِينُوْنَ لِلْغَيِيْتُوْنَ لِلْغَيِّيْتُ وَالطَّقِبَاتُ لِلطَّلِيْمِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّلِيْبَاتِ الْوَلَيِّكُ مُبَرِّمُونَ مِمَّالِيَقُولُونَ لَكُمْ مَنْغُفِرَةٌ قَرِيْتُ كُونِمُ

ؽٙٲؿؙۿٵڷڵۮؚؽڹٵڡٮؙؙٷٳڶٳؾؘڎؙڂؙٷٳؽٷؾؙٵۼؽڔ؉ؿۣۊؾٟڴؙؗۿ ڂٙؿؾؘۺؙؾٳٛڹٷٳٷؿؙڝٙڵۣٷٳٷڶۿڵۿڶؚۿٳڎڶؚڴۯڿؽڒڰڴۄ ڵۼڴڴؙڎؿۮڴٷۏڹڰ

ڣۜٳڶؙڷٷۼۣۮٷٳڣۣۿٵۜٙٲڝٙڎٵڣڵٳؾۮڂؙڶۅ۫ۿٵڝٙؿ۠ؽؙٷؙڎؘڹ ٮؙڴڎؙۯڶڽ۫ڣۣڷڵڴؙڎؙٳۯڿؚۼٷٵڡٞٳۯڿؚٷٳۿۅؘٳؘڎ۬ڮڷڴۄؙ ۅؘڶڟٷؚؠٮٲڡؖۼؙڶؙۏڹؘۼڸؿٷ

لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحُ أَنْ تَدْحُلُوا بِيُوْتًا غَيْرَسَنْكُوْنَةٍ

- इस में यह संकेत है कि जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने आदरणीय आइशा (रिजयल्लाहु अन्हा) पर आरोप लगाया वह मन के मलीन तथा अपवित्र हैं।
- 2 सूरह के आरंभ में यह आदेश दिये गये थे कि समाज में कोई बुराई हो जाये तो उस का निवारण कैसे किया जाये? अब वह आदेश दिये जा रहे हैं जिन से समाज में बुराईयों को जन्म लेने ही से रोक दिया जाये।
- 3 हदीस में इस का नियम यह बताया गया है कि (द्वार पर दायें या बायें खड़े हो कर) सलाम करो। फिर कहो कि क्या भीतर आ जाऊँ? ऐसे तीन बार करो, और अनुमति न मिलने पर वापिस हो जाओ। (बुखारी, 6245, मुस्लिम, 2153)

करो निर्जन घरों में जिन में तुम्हारा सामान हो, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम बोलते हो और जो मन में रखते हो।

- 30. (हे नबी!) आप ईमान वालों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यह उन के लिये अधिक पवित्र है, वास्तव में अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह कर रहे हैं।
- 31. और ईमान वालियों से कहें कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। और अपनी शोभा^[1] का प्रदर्शन न करें सिवाय उस के जो प्रकट हो जाये। तथा अपनी ओढ़िनयाँ अपने वक्षस्थलों (सीनों) पर डाली रहें। और अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें, परन्तु अपने पिताओं अथवा अपने ससुरों के लिये अथवा अपने पुत्रों^[2] अथवा अपने पित के पुत्रों के लिये अथवा अपने भाईयों^[3] अथवा भतीजो अथवा अपने भांजों के^[4] लिये अथवा अपनी स्त्रियों अथवा अपने अथवा अपने अथवा अपने अथवा अपने अथवा अपने अथवा अपने

فِيْهَامَتَا أُمُّلُوْ وَاللهُ يَعْلَوْمَالْتُدُوْنَ وَمَاتَكُتْمُونَ ۖ

قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ اَبْصَادِهِوْ وَيَعْفَطُوا فُرُوْجَهُوَّ دُلِكَ اَذَكَىٰ لَهُوَ اِنَّ اللهَ خَِيدُ لِّنِمَا يَصْنَعُوْنَ۞

وَقُلُ إِلْمُونِينَ وَيُعْضَضَ مِن اَبْصَالِهِنَ وَيَعَفَظَنَ فُرُوْجَهُنَ وَلَالِالْمِنَ وَيُعْتَهُنَ الْامَاظُهَرَمِنُهَا وَلَيْفَوْرِينَ عِغُوهِنَ عَلَ جُبُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ وَيُغَتَّفُنَ الْالْمُحُولَتِهِنَ اَوْالْمَا هِنَ اَوْلِيا اَلْمَا اَلْهِنَ اَوْلَا اللهِ اللهُولَتِهِنَ اَوْل اَنْفَالِهِنَ اوْلَيْفُولَتِهِنَ اَوْلِيَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُولِيةِ مِنَ الرَّعَالِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ ال

शोभा से तात्पर्य वस्त्र तथा आभूषण हैं।

² पुत्रों में पौत्र तथा नाती परनाती सब सिम्मिलत हैं, इस में सगे सौतीले का कोई अन्तर नहीं।

³ भाईयों में सगे और सौतीले तथा माँ जाये सब भाई आते हैं।

⁴ भतीजों और भांजों में उन के पुत्र तथा पौत्र और नाती सभी आते हैं।

अपनी स्त्रियों से अभिप्रेत मुस्लिम स्त्रियाँ हैं।

दास-दासियों अथवा ऐसे आधीन[1]
पुरुषों के लिये जो किसी और प्रकार
का प्रयोजन न रखते हों, अथवा उन
बच्चों के लिये जो स्त्रियों की गुप्त
बातें न जानते हों और अपने पैर
(धरती पर) मारती हुयी न चलें कि
उस का ज्ञान हो जाये जो शोभा उन्हों
ने छुपा रखी है। और तुम सब मिल
कर अल्लाह से क्षमा माँगो, हे ईमान
वालो! ताकि तुम सफल हो जाओ।

- 32. तथा तुम विवाह कर दो [2] अपनों में से अविवाहित पुरुषों तथा स्त्रियों का, और अपने सदाचारी दासों और अपनी दासियों का, यदि वह निर्धन होंगे तो अल्लाह उन्हें धनी बना देगा अपने अनुग्रह से, और अल्लाह उदार सर्वज्ञ है।
- 33. और उन को पिवत्र रहना चाहिये जो विवाह करने का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ तक कि उन को धनी कर दे अल्लाह अपने अनुग्रह से। तथा जो स्वाधीनता लेख की माँग करें तुम्हारे दास-दासियों में से, तो तुम उन को लिख दो, यदि तुम उन में कुछ भलाई जानो [3], और उन्हें अल्लाह के

وَانْكِحُواالْاَيَامِى مِنْكُوُوالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَامَلَاكُوْ إِنْ يَكُوْنُوافَقَرَآءَيُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضُيلة وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ﴿

وَلْيَسْتَحَفِّفِ اللّذِينَ لَايَعِدُونَ نِكَاحَاحَتَّى يُغْنِيهُ وُاللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ اَيُمَا لَكُوفَكَا يَبُوفُمُ النَّ عَلِمْ تُعْفِيهُ خَيْرًا تُوَاتُوهُ وُمُومِّنَ مَّالَ اللهِ الذِي اللهُ عَلَمْ وُلِكَ تَكُومُوا فَتَيْلِيَكُوعَلَ الْبِغَلَا فِلَ اللهِ الذِي الْكُونَ مَّعَضَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْعَيْوَةِ الدُّنْمَا وَمَن يُكُومُهُنَ فَإِنَّ اللهُ مِنْ الْعَدُوا لَكُواهِ هِنَ غَفُورٌ تَعِيدُونَ

- अर्थात् जो आधीन होने के कारण घर की महिलाओं के साथ कोई अनुचित इच्छा का साहस न कर सकेंगे। कुछ ने इस का अर्थ नपुंसक लिया है। (इब्ने कसीर) इस में घर के भीतर उन पर शोभा के प्रदर्शन से रोका गया है जिन से विवाह हो सकता है
- 2 विवाह के विषय में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है: "जो मेरी सुन्नत से विमुख होगा" वह मुझ से नहीं है। (बुख़ारी-5063 तथा मुस्लिम, 1020)
- 3 इस्लाम ने दास-दासियों की स्वाधीनता के जो साधन बनाये हैं उन में यह भी है कि वह कुछ धनराशि देकर स्वाधीनता लेख की माँग करें, तो यदि उन में इस

उस माल में से दो जो उस ने तुम्हें प्रदान किया है, तथा बाध्य न करो अपनी दासियों को व्यभिचार पर जब वे पिवत्र रहना चाहती हैं^[1] ताकि तुम संसारिक जीवन का लाभ प्राप्त करो। और जो उन्हें बाध्य करेगा, तो अल्लाह उन के बाध्य किये जाने के पश्चात्^[2] अति क्षमी दयावान् है।

- 34. तथा हम ने तुम्हारी ओर खुली आयतें उतारी हैं और उन का उदाहरण जो तुम से पहले गुज़र गये तथा आज्ञाकारियों के लिये शिक्षा।
- 35. अल्लाह आकाशों तथा धरती का^[3] प्रकाश है, उस के प्रकाश की उपमा ऐसी है जैसे एक ताखा हो जिस में दीप हो, दीप कांच के झाड़ में हो, झाड़ मोती जैसे चमकते तारे के

وَلَقَدُانُوُلُنَآ الِيَكُوُ النِيهُ مُبَيِّنْتٍ وَّمَثَلَامِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوَامِنُ قَبْلِكُوُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُثَّقِيْنَ۞

ٱللهُ نُورُالسَّمُولِتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كِمِشْكُوةٍ فِيْهَامِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُّ دُرِيَّ بُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ تُعَبَّرُكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَاشَرُقِيَّةٍ وَلاَغَرُسِيَّةٍ ثِكَادُزَيْتُهَ لَيْعِنَى

धनराशि को चुकाने की योग्यता हो तो आयत में बल दिया गया है कि उन को स्वाधीनता-लेख दे दो।

- अज्ञानकाल में स्वामी, धन अर्जित करने के लिये अपनी दासियों को व्यभिचार के लिये बाध्य करते थे। इस्लाम ने इस व्यवसाय को वर्जित कर दिया। हदीस में आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कुत्ते के मूल्य तथा वैश्या और ज्योतिषी की कमाई से रोक दिया। (बुख़ारी, 2237, मुस्लिम, 1567)
- अर्थात् दासी से बल पूर्वक व्यभिचार कराने का पाप स्वामी पर होगा, दासी पर नहीं।
- 3 अर्थात् आकाशों तथा धरती की व्यवस्था करता और उन के वासियों को संमार्ग दर्शाता है। और अल्लाह की पुस्तक और उस का मार्ग दर्शन उस का प्रकाश है। यदि उस का प्रकाश न होता तो यह विश्व अन्धेरा होता। फिर कहा कि उस की ज्योति ईमान वालों के दिलों में ऐसे है जैसे किसी ताखा में अति प्रकाशमान दीप रखा हो, जो आगामी वर्णित गुणों से युक्त हो। पूर्वी तथा पश्चिमी न होने का अर्थ यह है कि उस पर पूरे दिन धूप पड़ती हो जिस के कारण उस का तेल अति शुद्ध तथा साफ हो।

समान हो, वह ऐसे शुभ ज़ैतून के वृक्ष के तेल से जलाया जाता हो जो न पूर्वी हो और न पश्चिमी, उस का तेल समीप (संभव) है कि स्वयं प्रकाश देने लगे, यद्यपि उसे आग न लगे। प्रकाश पर प्रकाश है, अल्लाह अपने प्रकाश का मार्ग दिखा देता है जिसे चाहे। और अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है और अल्लाह प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है।

- 36. (यह प्रकाश) उन घरों^[1] में है अल्लाह ने जिन्हें ऊँचा करने और उन में अपने नाम की चर्चा करने का आदेश दिया है, उस की महिमा का गान करते हैं जिन में प्रातः तथा संध्या।
- 37. ऐसे लोग जिन्हें अचेत नहीं करता व्यापार तथा सौदा अल्लाह के स्मरण तथा नमाज़ की स्थापना करने और ज़कात देने से। वह उस दिन^[2] से डरते है जिस में दिल तथा आँखें उलट जायेंगी।
- 38. ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के सर्वोत्तम कर्मो का और उन्हें अधिक प्रदान करे अपने अनुग्रह से। और अल्लाह जिसे चाहे अनिगनत जीविका देता है।
- 39. तथा जो काफ़िर^[3] हो गये उन के

ۅؘڵٷڵؿڗٙۺۜۺۿؙػٲڒ۠ڷٚٷۛڒٛۼڵٷڔٝؽۿڡؚؽۘٳٮڶۿڶؚڹؙٷڔۼ ڡۜڽؙؾۜؿٵٚٷڝؘۼڔٮٛٵٮڶۿٲڵۯڬؿٵۘڵڸڶٮۜٵڛ ۅؘڶڟۿؙؠڴڸٙؿۧؿٞ۠ۼڵؽٷڰ۫

> ڣؙؿؙؿٷڝؚٳؘۮؚڹٳ۩ؿۿٲڶٞؾؙٷۼۘۘۘٶؽؽٝۮڰۯڣؽۿٵڵٮؙۿؙۿٚ ؽؙٮؾؚڂڰ؋ڣؽؠٵڽٳڷۼڎڎؚٙۉٲڵٳڝٚٲٳڰٛ

ڔۣڿٲڵؙ؆ؙڎؙڵڡۣؽڡۣۼؾۼٵۯةٞٷٙڵۺۼؘؘٞٛٛۜٛٛٛڠڹ۫ۮۣڴڔۣڶڵڡؚۏٳڡٞڶڡ الصَّلوةِ وَإِيْتَأَوْالرُّكُوةِ "يَغَافُونَ يَوْمَانَتَّقَلَبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَالُ۞

ڸۣؠۜڿ۫ڔۣؽۿؙؙڎؙٳڶڷۿؙٲڂۘڛؘۜ؆ڶۼڡڵۊ۬ٳۅۜێڔ۬ؽۘؽؙۿؠٞۺٛۏؘڝؙٛڸ؋ ۅؘڶڷۿؙؿۯۮ۫ؿؙؙڡۜڽؙڲؿٵؙٞۯؠؚۼؿڔڝؚٮٵۑ۞

وَالَّذِينَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُ مُ كَسَرًابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ

- 1 इस से तात्पर्य मस्जिदें हैं।
- 2 अर्थात् प्रलय के दिन।
- 3 आयत का अर्थ यह है कि काफिरों के कर्म, अल्लाह पर ईमान न होने के कारण अल्लाह के समक्ष व्यर्थ हो जायेंगे।

कर्म उस चमकते सुराब^[1] के समान हैं जो किसी मैदान में हो, जिसे प्यासा पानी समझता हो। परन्तु जब उस के पास आये तो कुछ न पाये, और वहाँ अल्लाह को पाये जो उस का पूरा हिसाब चुका दे, और अल्लाह शीघ हिसाब लेने वाला है।

- 40. अथवा उन अन्धकारों के समान है जो किसी गहरे सागर में हो और जिस पर तरंग छायी हो जिस के ऊपर तरंग, उस के ऊपर बादल हो, अन्धकार पर अन्धकार हो, जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी न देख सके। और अल्लाह जिसे प्रकाश न दे उस के लिये कोई प्रकाश^[2] नहीं।
- 41. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही की पिवत्रता का गान कर रहे हैं जो आकाशों तथा धरती में हैं तथा पँख फैलाये हुये पक्षी? प्रत्येक ने अपनी बंदगी तथा पिवत्रता गान को जान लिया^[3] है, और अल्लाह भली-भाँति जानने वाला है जो वे कर रहे हैं।
- 42. अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा धरती का राज्य। और अल्लाह ही की

الطَّمُانُ مَا مُّحَثِّى إِذَاجَاءً وَلَوْ يَجِدُ وَمُثَيِّاً وَوَجَدَ الله عِنْدَ وَفَقْ فُ حِمَالِهُ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِمَاكِ

ٲۘۅؙػڟؙڵٮڹڹڹٞۼڔڷؙڿؠٞؾؘۼ۠ۺؗؗۿڡؘۏڿؙۺٞۏۊ؋ڡۏۼ ڡؚڽٞٷۊ؋ڛۘڂڮۛٷڟؙڵٮڬٵۼڞؙۿٵٷۊؽڹۼڞ ٳۮؘٲٲڂٞۯۼؽۮٷڶۄؙؽػڰڮڒۻٲٷڡڽؙڷٷۼۼڮۘٲڵڷۿ ڵڎؙٷۯٵڣڡٵڵۿڡؚڽؙٷۅ۪ٛ

ٱڵۼڗۜٙۯٵؿؘۜٙٞٞٞٳڵۿڲؽۜؾؚٷڵۿؙ؈ؙ۫ڣۣٳڶٮۜڡڟۏؾؚۉٲڵۯڝ۬ ۅؘٳڶڟؽۯؙۻٚڣٝؾٟ۠ػؙڷۨ۫ؿۜۮؙۼڸ؞ؘڝؘڵٳؾؘۿؙۅٞۼؽؚۼػ؋ٛ ۅؘٳٮؿؙۿٷڸؿٷٞڸؠٵؽڣڠڵؙۄؙڹٛ۞

وَ يِلْهِ مُلْكُ التَّمَانِيَ وَالْأَرْضِ وَالْ اللهِ الْمَصِيَّرِ؟

- 1 कड़ी गर्मी के समय रेगिस्तान में जो चमकती हुई रेत पानी जैसी लगती है उसे सुराब कहते हैं।
- 2 अर्थात् काफिर, अविश्वास और कुकर्मों के अन्धकार में घिरा रहता है। और यह अन्धकार उसे मार्ग दर्शन की ओर नहीं आने देते।
- 3 अर्थात् तुम भी उस की पवित्रता का गान गाओ। और उस की आज्ञा का पालन करो।

ओर फिर कर[1] जाना है।

- 43. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है फिर उसे परस्पर मिला देता है, फिर अप घंघोर मेघ बना देता है, फिर आप देखते हैं बूंद को उस के मध्य से निकलती हुयी, और वही पर्वतों जैसे बादल से ओले बरसाता है, फिर जिस पर चाहे आपदा उतारता है और जिस से चाहे फेर देता है। उस की बिजली की चमक संभव होता है कि आँखों को उचक ले।
- 44. अल्लाह ही रात और दिन को बदलता^[2]है। बेशक इस में बड़ी शिक्षा है समझ-बूझ वालों के लिये।
- 45. अल्लाह ही ने प्रत्येक जीव धारी को पानी से पैदा किया है। तो उन में से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं। और कुछ दो पैर पर, तथा कुछ चार पैर पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, वास्तव में वह जो चाहे कर सकता है।
- 46. हम ने खुली आयतें (कुर्आन) अवतरित कर दी है। और अल्लाह जिसे चाहता है सुपथ दिखा देता है।
- 47. और^[3] वे कहते हैं कि हम अल्लाह

ٱلْوَتَوَانَ اللَّهُ يُوْتِي سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُوَيَعِمُلُهُ كُانَّا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُونُ خِلَهِ وَيُغَلِّلُهِ وَيُغَلِّلُهُ وَيُغَلِّلُهُ مِنَ التَّمَا وَمِنْ جِبَالِ فِيهَامِنَ بَرَدٍ فَيُضِينُ بِهِ مَنْ يَشَا وَوَ يَضِرِفُهُ عَنُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَكَادُ سَنَا بَرُوهِ يَدُهُ هَبُ بِالْاَبْصَارِقَ

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيُّلَ وَالنَّهَا رَّانَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِاوُلِى الْكِيْصَارِ@

ۅٙٳڵؿؙڎؙڂؘڮٙڰؙڴۮٙٳۧؠۜۊٙۺ۫؆ٞٳۧڋڣؠؽ۠ۿؙؠؙۺؙڲؿۺؽۼڵ ڹڟڹ؋ؙۏڡۣؿؙؠؗٛؠؙۺؙؽؿۺؽۼڸڔۣۻڸۺۣٛۏڡؚؽ۠ؠؙؙؠؙ ۼڵؘٲۮؠۼٟؿۼؙڰؙڰؙٳڶؿۿٵؘؽۺۜٲٵٚٳؾؘٵڵؿػڴڴ؆ۺػڴ؆ۺؽ ۼڵٲۮؠۼٟؿۼؙڰڰؙٳڶؿۿٵؘؽۺۜٲٵٚٳؾؘ ؾڋؿڰ

لَقَدُانُزَلْنَا اللّٰتِ مُنَيِّنْتٍ وَاللّٰهُ يَهُدِى مَنَّ يَّتَأَةُ اللّٰصِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ۞

وَيَغُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالزَّمُولِ وَاطْعُنَا ثُمَّ

- 1 अर्थात् प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।
- 2 अर्थात् रात के पश्चात् दिन और दिन के पश्चात् रात होती है। इसी प्रकार कभी दिन बड़ा रात छोटी, और कभी रात बड़ी दिन छोटा होता है।
- 3 यहाँ से मुनाफ़िक़ों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है, तथा

तथा रसूल पर ईमान लाये, और हम आज्ञाकारी हो गये, फिर मुँह फेर लेता है उन में से एक गिरोह इस के पश्चात्। वास्तव में वे ईमान वाले हैं हीं नहीं।

- 48. और जब बुलाये जाते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल की ओर, ताकि (रसूल) निर्णय कर दें उन के बीच (विवाद का), तो अकस्मात् उन में से एक गिरोह मुँह फेर लेता हैं।
- 49. और यदि उन्हीं को अधिकार पहुँचता हो, तो आप के पास सिर झकाये चले आते हैं।
- 50. क्या उन के दिलों में रोग है अथवा द्विधा में पड़े हुये हैं, अथवा डर रहे हैं कि अल्लाह अत्याचार कर देगा उन पर और उस के रसूल? बल्कि वही अत्याचारी है।
- 51. ईमान वालों का कथन तो यह है कि जब अल्लाह और उस के रसूल की ओर बुलाये जायें ताकि आप उन के बीच निर्णय कर दें, तो कहें कि हम ने सुन लिया तथा मान लिया, और वहीँ सफल होने वाले हैं।
- 52. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह का भय रखें, और उस की (यातना से) डरें, तो वही सफल होने वाले हैं।

يَتُوَلِّي فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مِّنَ ابَعْبِ ذَلِكَ وَمَا أُولَيْكَ

وإذادُعُوٓالِلَّاللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَ

وَإِنْ يَكُنْ لَهُوالْحَقُّ يَأْتُوۤ ٱلۡيُهِ مُذَعِ

<u>ٳؘ</u>ؽؙٷؙؽۅ۫ؠۿؚڂڡٞۯڞؙٳ؞ڔٳۯؾٵڹٷۧٳڶڎؚؾۼۜٵۏؙؽٳڶ يَجِيُكَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَرَيَّهُ وَلَهُ ثِلْ أُولِيْكَ هُوُالظِّلِمُونَ ۖ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ لِذَادُعُوۤ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِنْ يَقُولُوا سَبِمُنَا وَأَطْمُنَا وْأُولِكَ

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَبُولَهُ وَيَغْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهُ

यह बताया जा रहा है कि ईमान के लिये अल्लाह के सभी आदेशों तथा नियमों का पालन आवश्यक है। और कुर्आन तथा सुन्नत के निर्णय का पालन करना ही ईमान है।

- 53. और इन (द्विधावादियों) ने बल पूर्वक शपथ ली कि यदि आप उन्हें आदेश दें तो अवश्य वह (घरों से) निकल पड़ेंगे। उन से कह दें: शपथ न लो। तुम्हारे आज्ञापालन की दशा जानी पहचानी है। वास्तव में अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है।
- 54. (हे नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, और यदि वह विमुख हों, तो आप का कर्तव्य केवल वही है जिस का भार आप पर रखा गया है, और तुम्हारा वह है जिस का भार तुम पर रखा गया है। और रसूल का दायित्व केवल खुला आदेश पहुँचा देना है।
- 55. अल्लाह ने वचन[1] दिया है उन्हें जो तुम में से ईमान लायें तथा सुकर्म करें कि उन्हें अवश्य धरती में अधिकार प्रदान करेगा जैसे उन्हें अधिकार प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा अवश्य सुदृढ़ कर देगा उन के उस धर्म को जिसे उन के लिये पसँद किया है, तथा उन (की दशा) को उन के भय के पश्चात् शान्ति में बदल देगा, वह मेरी इबादत (बंदना) करते रहें और किसी चीज़ को मेरा साझी न बनायें। और जो कुफ़ करें इस के

وَاقْسَمُوْالِاللهِ جَهْدَالِيُمَالِيْهِ لَمِنَ اَمَرَتَهُمُّ لَيَغُرُجُنَّ قَالَكَا تُقْسِمُوا ظَامَةٌ مُّعُرُوفَةٌ * إِنَّ اللهَ خَيِيدُرُّ بِمَا لَعُمْلُونَ ۞

قُلُ اَطِيْعُوااللهُ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُوْمَا حُيِّلْتُوْوَانُ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوا وْمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ ﴾ الْمُبِيْنُ

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْلِمِنْكُوْ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ
لَيْسَتَخُلِفَنَهُمُ فِ الْأَرْضِ كَمَااسُّخَلْفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيُنَهُمُ النَّخَلُفَ الَّذِيْنَ مِنْ
فَيْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِخُوفِهِمْ الْمَنَا يَعْبُدُونَنِيُ
وَلَيْمَرِكُونَ مِنْ تَعْيُا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيِكَ
فَدُوالْفُسِقُونَ فَي فَالْلِيكَ فَأُولَيِكَ
هُمُ الْفُسِقُونَ فَي فَالْمَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيِكَ
هُمُ الْفُسِقُونَ فَي اللّهَ اللّهُ الْمَالِيكَ فَاللّهِكَ

इस आयत में अल्लाह ने जो बचन दिया है, वह उस समय पूरा हो गया जब नबी सल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों को जो काफिरों से डर रहे थे उन की धरती पर अधिकार दे दिया। और इस्लाम पूरे अरब का धर्म बन गया और यह बचन अब भी है, जो ईमान तथा सत्कर्म के साथ प्रतिबंधित है।

पश्चात् तो वही उल्लंघनकारी हैं।

- 56. तथा नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात दो, तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, ताकि तुम पर दया की जाये।
- 57. और (हे नबी!) कदापि आप न समझें कि जो काफिर हो गये, वे (अल्लाह को) धरती में विवश कर देने वाले हैं। और उन का स्थान नरक है और वह बुरा निवास स्थान है।
- 58. हे ईमान वालो! तुम^[1] से अनुमित लेना आवश्यक है तुम्हारे स्वामित्व के दास-दासियों को और जो तुम में से (अभी) युवा अवस्था को न पहुँचे हों तीन समयः फ़ज़ (भोर) की नमाज़ से पहले, और जिस समय तुम अपने वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा इशा (रात्रि) की नमाज़ के पश्चात्। यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं तुम्हारे लिये। (फिर) तुम पर और उन पर कोई दोष नहीं है इन के पश्चात्, तुम अधिक्तर आने-जाने वाले हो एक दूसरे के पास। अल्लाह तुम्हारे लिये आदेशों का वर्णन कर रहा है। और अल्लाह सर्वज्ञ निप्ण है।
- 59. और जब तुम में से बच्चे युवा अवस्था को पहुँचें, तो वह भी वैसे ही अनुमित

وَاَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاَلِمِعُواالرَّسُولَ لَعَكَّكُوْ تُرْحَمُونَ۞

ڵٙڒؾٙڂؙڛۘڔؘؾٞٵڲٙۮؚؽؙؽؘػڡٚؠؙٷؗٳڡؙۼڿؚڹؿؙؽ؋ۣٵڵڒۮۻ ۅؘڡۜٲڎؙؠؙؙٛڞؙٳڶٮٚٵڒٷؘڷڽؚڞؙٵؠٛڝؽڒؙ۞۫

يَانَهُا الَّذِينَ امْنُوْ الِيَسْتَاذُ نَكُوُ الَّذِينَ مَلَكَتُ

اَيْمَا الْكُوْ وَالَّذِينَ امْنُوْ الْيَسْتَاذُ نَكُوُ الَّذِينَ مَلَكَتُ

مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلْوَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

ثِيَا بَكُوْتِنَ الطَّهِيُّ وَقِينَ بَعْدِ صَلْوَةِ الْحِشَاةِ

ثِيَا بَكُوْتِنَ الطَّهِيُّ وَقِينَ بَعْدِ صَلْوَةِ الْحِشَاةِ

ثَلَثُ عَوْراتٍ الْكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَ لَاعَلَيْهِمُ

حُنَا حُهُ بَعَثَ هُنَ مُلَوْفُونَ عَلَيْكُو بَعْضُكُمُ عَلْ

بَعْضِ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الْأَلْتِ وَاللهُ عَلْيُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّه

وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُوا لِحُلْمَ

¹ आयतः 27 में आदेश दिया गया है कि जब किसी दूसरे के यहाँ जाओ तो अनुमित ले कर घर में प्रवेश करो। और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि स्वयं अपने घर में एक-दूसरे के पास जाने के लिये भी अनुमित लेना तीन समय में आवश्यक है।

लें जैसे उन से पूर्व के (बड़े) अनुमति माँगते हैं, इसी प्रकार अल्लाह उजागर करता है तुम्हारे लिये अपनी आयतों को, तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है।

- 60. तथा जो बूढ़ी स्त्रियाँ विवाह की आशा न रखती हों, तो उन पर कोई दोष नहीं कि अपनी (पर्दे की) चादरें उतार कर रख दें, प्रतिबंध यह है कि अपनी शोभा का प्रदर्शन करने वाली न हों, और यदि सुरक्षित रहें^[1] तो उन के लिये अच्छा है|
- 61. अन्धे पर कोई दोष नहीं है और न लंगडे पर कोई दोष[2] है, और न रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं तुम पर कि खाओ अपने घरों^[3] से अथवा अपने बापों के घरों से अथवा अपनी माँओं के घरों से अथवा अपने भाईयों के घरों से अथवा अपनी बहनों के घरों से अथवा अपने चाचाओं के घरों से अथवा अपनी फ्फियों के घरों से अथवा अपने मामाओं के घरों से अथवा अपनी मौसियों के घरों से अथवा जिस की चाबियों के तुम स्वामी[4] हो, अथवा अपने मित्रों के घरों से, तुम पर कोई दोष नहीं एक साथ खाओ या अलग अलग, फिर जब तुम प्रवेश

فَلْيَسُتَا أَذِ كُوَاكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ مَّبُلِهِمُ * كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ النِّهِ * وَاللهُ عَلِيْعُ حَكِيمُ ۗ

ۅؘۘٵڵ۬ۼۜۅٛٳڝۮؙڡؚڹٙٵڵڣؚٮۜٵٝ؞ؚٳڷؚ۬ؿٞڵٳؽڒڿۘٷڹ؞ؘڰٵڂٵ ڡؘڮؽۺؘڡؘڲؿڡؚڹۧۻؙٵڂٞ۠ٳڽؙؾۻٙڡؙڹڿؾٳڹۿؙڹٞ ۼؘؿڒؘڡؙؾؘڹڒۣڂؠؾٳؠڔ۬ؽڹؘڎ۪؞ٛۅٙڶڽؙؿۺؙؾؘڡؙڣڣؙڹ ڂؿڒۘڰۿؙڹٛ؞ٛۅٛٳڟۿڛؘڝؚؿۼ۠ۼڸؿٷٛ۞

¹ अर्थात् पर्दे की चादर न उतारें।

² इस्लाम से पहले विक्लांगों के साथ खाने पीने को दोष समझा जाता था जिस का निवारण इस आयत में किया गया है।

³ अपने घरों से अभिप्राय अपने पुत्रों के घर हैं जो अपने ही होते हैं।

⁴ अर्थात् जो अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें रक्षा के लिये अपने घरों की चाबियाँ दे जायें।

करो घरों में [1] तो अपनों को सलाम किया करो, एक आशीर्वाद है अल्लाह की ओर से निर्धारित किया हुआ जो शुभ पिवत्र है। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये आयतों का वर्णन करता है ताकि तुम समझ लो।

- 62. वास्तव में ईमान वाले वह हैं जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाये और जब आप के साथ किसी सामुहिक कार्य पर होते हैं तो जाते नहीं जब तक आप से अनुमित न लें, वास्तव में जो आप से अनुमित लेते हैं वही अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान रखते हैं, तो जब वह आप से अपने किसी कार्य के लिये अनुमित माँगें, तो आप उन में से जिसे चाहें अनुमित दें। और उन के लिये अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करें। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी दयावान है।
- 63. और तुम मत बनाओ रसूल के पुकारने को परस्पर एक-दूसरे को पुकारने जैसा^[2], अल्लाह तुम में से उन को जानता है जो सरक जाते हैं एक-दूसरे की आड़ ले कर। तो उन्हें सावधान रहना चाहिये जो आप के आदेश का विरोध करते हैं कि उन

إِثَمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوْا يِاللَّهُ وَرَسُولِهُ وَإِذَا كَانُواْمَعَهُ عَلْ آمْرِجَامِعِ لَمُ يَذُ مَنُوا هَ حَتَّى يَسْتَاذِ نُوهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَاذِ نُوْمَكَ اُولَلِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَرَسُولِهُ وَإِذَا اسْتَاذَ نُولُو لِمَعْضِ شَأْنِهِمْ وَالْدَنُ لِمَنْ شِمْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ الله عَمُورُ لَيْحَوْلِهِمْ

ڵڒؾۜٙڿؙڡۘڬؙۊؙٳۮؙۼٵٛٙٵڵڗۜٙڡؙٷڸؠؽ۫ؽٙڴۄؙػۮۼٵۧ؞ؠٙڣۻڴۄؙ ؠۼڞ۠ٵڡڎؠۼڷۅؙٳڶڶۿٲڷۮؚڽؿؙؽؾۺٙٮڷڷؙۅؙؽۅؽ۫ػۊؙ ڸۅٵڎٞٵٷڷؽڞڎڔٳڷۮؚؿؙؽڲۼٵڸڡؙٛۅٛؽۼڽٵڡۺٟٷٙٲڽؙ ؿؙڝؿؠۿڎۼؿ۫ڬڎ۠ٵٷؿڝؿؠۿڎۼۮٳڮٵڸؽ۫ٷ

- अर्थात वह साधारण भोजन जो सब के लिये पकाया गया हो। इस में वह भोजन सम्मिलित नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिये तैयार किया गया हो।
- 2 अर्थात् «हे मुहम्मद!» न कहो। बल्कि आप को हे अल्लाह के नबी! हे अल्लाह के रसूल! कह कर पुकारो। इस का यह अर्थ भी किया गया है कि नबी सल्ललाहु अलैहि व सल्लम की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना के समान न समझो, क्यों कि आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है।

पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन पर कोई दुःखदायी यातना आ जाये।

64. सावधान! अल्लाह ही का है जो आकाशों तथा धरती में है, वह जानता है जिस (दशा) पर तुम हो, और जिस दिन वे उस की ओर फेरे जायेंगे तो उन्हें बता^[1] देगा जो उन्हों ने किया है। और अल्लाह प्रत्येक चीज़ का अति ज्ञानी है। ٱلْاَلِنَ بِلْهِ مَا فِي السَّمَا وِيَ الْاَدْضُ قَدْ يَعَلَمُ مَا اَنْ تُوْعَلَيْهِ وَكَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُ مُوْ مِمَا عَمِلُوْ أَوَاللهُ يِكُلِّ ثَنَيُّ عَلِيْدٍ ﴾

¹ अर्थात् प्रलय के दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा।